प्रेस नोट

जनपद बाराबंकी 04 मई 2021

1. कोविड पॉजीटिव मरीजों के निःशुल्क उपचार हेतु व्यवस्था–:

एल–2 हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेन्ज, सफेदाबाद एवं एल–3 मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेन्ज, गदिया बाराबंकी में एकीकृत कोविड कमान्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर बाराबंकी से सन्दर्भित कोविड पॉजीटिव मरीजों का उपचार प्राईवेट वार्ड से इतर वार्ड में निःशुल्क प्रदान किया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आईशोलेशन वार्ड, आई0सी0यू0, वेन्टीलेटर हेतु निर्धारित दरों पर की जायेगी।

(i) सभी सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए एक पैकज है, इस पैकेज में कोविड केयर प्रोटोकाल के अनुसार प्रदान किये जाने के लिए आवश्यक बेड, भोजन, अन्य सुविधायें जैस–नर्सिंग केयर, मॉनिटरिंग, इमेजिंग सहित अन्य आवश्यक जॉचे/विजिट/कन्सल्ट चिकित्सक, परीक्षण आदि की सुविधायें सम्मिलित है।

(ii) **कोविड रोगियों हेतु रेमडेसिविर सरकार द्वारा अधिसूचित हिन्द एवं मेयो मेडिकल कालेज के माध्यम से चिकित्सक के परामर्श पर निःशुल्क दिया जायेगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं आक्सीजन हेतु पृथक से कोई शुल्क नही लिया जायेगा और न ही तामीरदार को आक्सीजन सिलेन्डर/गैस लाने हेतु विवश किया जायेगा।**

(iii) **गर्भवती महिलाओं का प्रसव (नार्मल/सी–सेक्शन) तथा नवजात शिशु के उपचार पर होने वाले व्यय को चिकित्सालय द्वारा आयुष्मान भारत योजना के प्रचलित दर पर अलग से लिया जायेगा। यद्यपि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से इस सबंध में कोई शुल्क नही लिया जायेगा।**

उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–5 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:696/ पॉच–5– 2021, दिनांकः 13 अप्रैल 2021 के द्वारा निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड–19 संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु लिए जाने वाले शुल्क का निर्धारण किया गया है।

2. कोविड पॉजीटिव मरीजों के प्राईवेट वार्ड में सशुल्क उपचार हेतु व्यवस्था–:

बाराबंकी में संचालित एल–2 हिन्द मेडिकल कालेज, एल–3 मेयो मेडिकल कालेज, आस्था हास्पिटल एवं शेरवुड हास्पिटल कोविड चिकित्सालयों द्वारा प्राईवेट वार्ड में भर्ती कोविड–19 संकमित मरीजों के उपचार हेतु निम्नवत् निर्धारित शुल्क ही प्राप्त किया जायेगा।

(i)

Hospital rates for per day of admission (in Rs.)			
Category of hospitals	Moderate Sickness	Severe Sickness	Very Severe Sickness
	ISOLATION BEDS Including supportive care and oxygen	ICU without need for ventilator care	ICU with ventilator care (invasive/non-invasive)
NABH accredited Hospitals (including entry level)	**6,000/-** (including cost of PPE)	**9,000/-** (includes cost of PPE)	**10,800/-** (includes cost of PPE)
Non-NABH accredited Hospitals	**4,800/-** (including cost of PPE)	**7,800/-** (including cost of PPE)	**8,000/-** (including cost of PPE)

कमश पेज 2 पर..................

(i) **निजी चिकित्सालयों हेतु निर्धारित शुल्क सभी सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए एक पैकज है, इस पैकेज में कोविड केयर प्रोटोकाल के अनुसार प्रदान किये जाने के लिए आवश्यक बेड, भोजन, अन्य सुविधायें जैस–नर्सिंग केयर, मॉनिटरिंग, इमेजिंग सहित अन्य आवश्यक जॉचे/विजिट/कन्सल्ट चिकित्सक, परीक्षण आदि की सुविधायें सम्मिलित है।**

(ii) **उक्त दर निर्धारण कोविड रोगियों हेतु राष्ट्रीय गाइडलाइन्स के अनुरूप निर्धारित की गई है, किन्तु प्रयोगात्मक उपचार(जैसे– रेमडेसिविर इत्यादि) इस पैकेज में सम्मिलित नही है। आक्सीजन हेतु पृथक से कोई शुल्क नही लिया जायेगा और नही तामीरदार को आक्सीजन सिलेन्डर/गैस लाने हेतु विवश किया जायेगा।**

(iii) **गर्भवती महिलाओं का प्रसव(नार्मल/सी–सेक्शन) तथा नवजात शिशु के उपचार पर होने वाले व्यय को चिकित्सालय द्वारा आयुष्मान भारत योजना के प्रचलित दर पर अलग से लिया जायेगा। यद्यपि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से इस सबंध में कोई श़ुल्क नही लिया जायेगा।**

3- उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्याः 771/पॉच–5–2021, दिनांकः 26.4.2021 (छाया प्रति संलग्न) में प्राप्त निर्देशों के कम में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एल–2 व एल–3 मेडिकल कालेज में बेड उपलब्ध न होने की दशा में एकीकृत कोविड कमान्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर द्वारा यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि सरकारी चिकित्सालयों/मेडिकल कालेजों/निजी मेडिकल कालेजों में बेड उपलब्ध नही है। उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर यदि कोविड संक्रमित निजी चिकित्सालयों शेरवुड हास्पिटल एवं आस्था हास्पिटल में जाता है, तो बेड की उपलब्धता होने पर उसको अनिवार्य रूप से भर्ती किया जायेगा। उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर निजी चिकित्सालयों में भर्ती कोविड रोगियों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत की दर से राज्य सरकार द्वारा उक्त निजी कोविड चिकित्सालय को भुगतान किया जायेगा।

(i) उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्याः 1659/पॉच–5–2020, दिनांकः 29.9.2020 के प्रस्तर–6 के अनुसार क्रिटिकल केयर के लिए जिलों में एल–2/एल–3 लेवल के चिकित्सालयों में बेड की कमी होने की दशा में निजी कोविड चिकित्सालयों के 50 प्रतिश बेड जिला प्रशासन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सन्दर्भित मरीजें को आयुष्मान की दर पर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना बाध्यकारी होगा।

4- **आर0टी0पी0सी0आर0 जॉच हेतु अधिकतम् शुल्क सीमा रू 700/– निर्धारित की गई है तथा निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्वंय एकत्र किये गये सैम्पल की दर रू 900/– समस्त करों सहित निर्धारित की गई है।**

अधिक शुल्क लिये जाने/आक्सीजन लाने हेतु बाध्य किये जाने की शिकायत हेतु एकीकृत कोविड कमान्ड एण्ड कन्ट्रोल रूम के 05248–224849, 05248–229926, 229916 एवं मोबाईल नम्बर 9569528403 वाट्सएप के माध्यम से लिखित शिकायत दर्ज करा सकते है। तद्नुसार जिला प्रशासन जॉच करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करेगा।

उक्त के कम में समस्त कोविड चिकित्सालयों को आदेशित किया जाता है कि उक्त शासनादेश मे उल्लिखत शर्तो के अधीन उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त धनराशि लेने की शिकायत पाई जायेगी तो सबंधित चिकित्सालय/लैब के विरूद्व एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 तथा उ0प्र0 महामारी कोविड–19 विनियमावली, 2020 के अधीन दण्डनीय होने के दृष्टिगत नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
जिलाधिकारी
बाराबंकी।

प्रतिलिपि प्रबन्धक/डीन/प्रधानाचार्य,समस्त अधिकृत कोविड चिकित्सालय बाराबंकी को अपने रिसेप्शन काउन्टर एवं नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से चस्पा करने हेतु